

राजस्थान-सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक- ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/पी-956/19/

दिनांक:-

आदेश

श्री प्रदीप कुमार, नर्स-2, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी बानसूर, अलवर को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से एमएससी साइकोलोजि परीक्षा 2018-19 आचार्य, नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुन्टूर विशाखापटनम, आंध्रप्रदेश से किये जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

शर्त:-

1. राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
2. राज्य सरकार/विभाग द्वारा कोई वित्तीय भार वहन नहीं किया जायेगा।
3. इन्हें केवल परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
4. कोर्स/परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
5. किसी प्रकार के वित्तीय लाभ/पदोन्नति की मांग नहीं करेगे।
6. राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।

—sd—

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर

क्रमांक - ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/पी-956/19/448

दिनांक - 30-04-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बानसूर, अलवर को उनके पत्र क्रमांक 447 दिनांक 29.03.2019 के क्रम में।
3. आचार्य, नागार्जुन विश्वविद्यालय, गुन्टूर, विशाखापटनम, आंध्रप्रदेश।
4. संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

7

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर